

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2020

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताईपे (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 3707 90 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020 के तहत, जिसे दिनांक 18 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, अनंतिम रूप से इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) पिछले वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान विषयगत देशों से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात में निरपेक्ष रूप से और साथ ही साथ भारत में होने वाले इसके उत्पादन और खपत की तुलना में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है;
- (ii) उक्त विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- (iii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है; और
- (iv) इस प्रकार की सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के पाटित आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदो के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः

उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मुलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	37079010, 37079090	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	834	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
2.	37079010, 37079090	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में	चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताईपे और मलेशिया से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	834	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
3.	37079010, 37079090	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	कोई भी	1686	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
4.	37079010, 37079090	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में	चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताईपे और मलेशिया से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	1686	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
5.	37079010, 37079090	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में	चीनी ताईपे	चीनी ताईपे समेत कोई भी देश	कोई भी	196	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
6.	37079010, 37079090	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में	चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताईपे और मलेशिया से भिन्न कोई भी देश	चीनी ताईपे	कोई भी	196	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर

2. लगाया गया यह अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका

अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/91/2020 -टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार